UPSB010012202026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट, सोनभद्र
पीठासीनः गोविन्द मोहन (एच0जे0एस0),(जे0ओ0 कोड नं0–2687),
दाण्डिक प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या–114/2026

चन्द्रमा सिंह **बनाम** अशर्फी वगैरह
थाना– बभनी, जनपद सोनभद्र

–:आदेश पत्रकः–

30.05.2026:–

आवेदक चन्द्रमा सिंह पुत्र स्व0 घूरन सिंह, निवासी ग्राम बभनी, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र की ओर से विपक्षीगण अशर्फी, शिवपूजन, जितेन्द्र, अमन व तीन अज्ञात के विरूद्ध प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 आदेशार्थ पेश हुआ। पूर्व तिथि पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना जा चुका है।

आवेदक की ओर से विपक्षीगण के विरूद्ध संबंधित थाना को मुकदमा पंजीकृत कर विधि अनुरूप विवेचना के आदेश निर्गत किए जाने के आशय से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी0एन0एस0एस0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि–" प्रार्थी गोड़ जाति (अनुसूचित जन जाति) का व्यक्ति है एवं आराजी नं0–5368 व 5369 के संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर स्वामी अपने पटिदारों के साथ है। उक्त भूमि से कभी भी कोई वास्ता सरोकार किसी अन्य से नहीं रहा है, फिर भी प्रार्थी के गांव के रहने वाले अशर्फी पुत्र इन्द्रदेव, शिवपूजन पुत्र अशर्फी, जितेन्द्र, अमन पुत्रगण शिवपूजन जो कि रौनियार बनियां (पिछडी जाति) के व्यक्ति हैं, जो दबंगई से प्रार्थी की जमीन पर जुलाई माह 2025 से ही जबरिया कब्जा करने का प्रयास करते है। पुलिस को शिकायत करने पर पुलिस 107/116 की कार्यवाही की थी, परन्तु दिनांक 08.02.2026 को समय 10 बजे दिन उपरोक्त लोग अपने साथ 3 अज्ञात लोगों के साथ प्रार्थी के उक्त भूमि पर प्रार्थी के द्वारा बोई गयी सरसो की फसल को काटने लगे, जब प्रार्थी ने फसल काटने से मना किया तो वहां बहुत से लोगों के सामने प्रार्थी को नींच, गोड़ की जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये अपमानित करने लगे व गन्दी गन्दी गालियां देने लगे, मना करने पर प्रार्थी को धक्का देकर गिरा दिये एवं घसीट कर खेत से बाहर कर दिये व धमकी देने लगे कि दोबारा खेत पर दिखाई दोगे तो जान से मार देंगे, तुम लोग नींच हो केवल मजदूरी करो खेती नहीं करने देंगे। प्रार्थी का लगभग 5 बिस्वा जमीन का सरसो काट कर ले गये। पुलिस को सूचना देने पर मौके पर पुलिस आयी तो वे लोग भाग गये। पुलिस को सूचना देने के बाद भी इस घटना को आस–पास के लोगों ने देखा है। थाना–बभनी द्वारा न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया न तो कोई कार्यवाही किया गया। जिससे अभियुक्त का मनोबल बढ़ा है। वे लोग प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि पर कब्जा करना चाह रहे है। प्रार्थी के साथ मार–पीट व गाली–गलौज किया गया व जाति सूचक शब्द का प्रयोग भी किया गया व जान माल की धमकी भी दिया गया। विपक्षी रौनियार बनिया (पिछड़ी) जाति के दबंग स्वभाव के व्यक्ति है। इसलिये स्थानीय थाना पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी तब प्रार्थी ने घटना की सूचना जरिये रजिस्ट्री पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को व अन्य उच्चाधिकारियों को दिया फिर भी अब तक कोई

Digitally signed by GOVIND MOHAN
Date: 2026.05.30 12:27:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sonbhadra

कार्यवाही नहीं किया गया।"

आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्ट्री की रसीद, जाति प्रमाण पत्र, उद्धरण खतौनी एवं अन्य प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।

प्रार्थना पत्र के प्रकाश में संबंधित थाना से आख्या आहूत की गयी। सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा विस्तृत आख्या प्रेषित की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रकाश में सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदक के प्रार्थना पत्र पर थाना स्थानीय पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण पर मुख्यतः यह आक्षेप लगाया गया है कि विपक्षीगण उसके द्वारा बोई गयी सरसो की फसल को जबरदस्ती काटने लगे, जब उसने विरोध किया तो उसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गालियॉ देते हुए जान से मारने की धमकी दिये और उसकी पांच विस्वा सरसो की फसल को काठ कर उठा ले गये। थाना से प्राप्त आख्या के अनुसार आवेदक एवं विपक्षीगण के मध्य बोई गयी फसल के बावत् विवाद है।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को घटना दिनांक, घटना समय, घटना स्थान, साक्षीगण के नाम, घटना हेतुक इत्यादि समस्त तथ्यों की पूर्ण जानकारी है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था **{नरेश कुमार बाल्मिकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–482 संख्या–14443/2022 निर्णय दिनांकित 17.10.2022}** में यह विनिश्चियन किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित ऐसे प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में संस्थित किया जा सकता है।

उपर्युक्त समस्त अवलोकन के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर न्यायालय द्वारा स्वयं जांच किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तद्नुसार कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदक के इस प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली दिनांक 26.06.2026 को वास्ते साक्ष्य परिवादी अन्तर्गत धारा–223(1) बी0एन0एस0एस0 हेतु पेश हो।

(गोविन्द मोहन)

दिनॉक–30.05.2026

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट,
सोनभद्र